करेंगे। अन्यथा की स्थिति में विलम्ब के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए विलम्ब अवधि के लिए सूद की राशि की गणना नियमानुसार कर उसकी वसूली संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के वेतनादि से करते हुए उसका भुगतान संबंधित कर्मी के पक्ष में किया जायेगा।

5. इस क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी छः माह की अवधि अन्तर्गत सेवा निवृत्त होने वाले कर्मियों/शिक्षकों की अग्रिम सूची का संधारण अपने कार्यालय में सुनिश्चित करेंगे और उक्त सूची के आलोक में समयबद्ध तरीके से सेवा निवृत्ति के उपरांत देय लाभों के भुगतान का सतत अनुश्रवण करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
(आर0के0 महाजन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/मु0–01–61/2015......480........../ पटना, दिनांक–01/5/15............/

प्रतिलिपि– सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी एवं महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 1/5/15

E:\Sec-08\Aadesh.doc 121

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

संचिका संख्या–7/मु0–0।–61/2015......................../माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद संख्या सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 562/2014 (कपिलेश्वर प्रसाद राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 10.02.2015 को पारित न्यायादेश का Oprational Part निम्नवत् है :–

"Let a copy of this order be sent to the Principal Secretary, Education Department for issuance of an order by him to all the concerned district head of Education Department to ensure that the no case for retirement benefit is kept pending at their level beyond a period of one month from the date of retirement of the concerned teacher/employee as also their becoming personally liable to pay interest from their own pocket on account of delay caused by them in sanctioning personal and/or final pension and other retirement benefit."

2. राज्य सरकार के कर्मी एवं शिक्षकों को सेवा निवृत्ति के उपरांत देय लाभ यथा अव्यवहृत अर्जिता अवकाश का नगदीकरण, ग्रुप जीवन बीमा की राशि, सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि, उपादान, पेंशन आदि है।

3. जिला स्तर पर शिक्षा विभाग का एकीकृत कार्यालय है जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला संवर्ग के प्रारंभिक शिक्षकों के नियुक्ति प्राधिकार है। साथ ही, राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों की भी नियुक्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की जाती है। इस प्रकार जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला संवर्ग के प्रारंभिक शिक्षकों एवं राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकार है।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के अनुपालनार्थ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि उनके क्षेत्राधीन कार्यरत उक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सेवा निवृत्ति की तिथि को ही सेवांत लाभ दे दिया जाय। अभिलेखों के अभाव एवं अन्य कारणों से किसी भी परिस्थिति में सेवा निवृत्ति की तिथि से अधिकतम एक माह के अन्तर्गत सेवा निवृत्त उपरांत देय लाभ की स्वीकृति नियमानुसार करना सुनिश्चित